ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2022; 8(6): 532-535
www.allresearchjournal.com
Received: 12-02-2022
Accepted: 05-04-2022

Dr. Sarika Kumari
Assistant Professor,
Department of Education,
CITE, Ranchi, Jharkhand,
India

Corresponding Author:
Dr. Sarika Kumari
Assistant Professor,
Department of Education,
CITE, Ranchi, Jharkhand,
India

सर्व शिक्षा अभियान

Dr. Sarika Kumari

प्रस्तावना

शिक्षा हमारे आंतरिक चेतना को जागृत करती है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, जिससे हमारे अंदर मानसिक और शारीरिक संतुलन प्राप्त होता है। शिक्षा के द्वारा मानसिक अवबोध की क्षमता विकसित होती है। वास्तव में, शिक्षा एक प्रकाश पुंज है, जिससे हमारे जीवन में नवीन ऊर्जा का संचार होता है। फलतः हम एक सार्थक जीवन की परिकल्पना करते हैं।

सर्व शिक्षा अभियान Block Research Center (BRC) 2001 भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसकी शुरूआत (2001–02) में अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा किया गया, जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा यह निर्देशित किया गया कि 06 से 14 साल के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया, जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्धेष्य 2010 तक संतोशजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को प्राप्त करना है। सर्व शिक्षा अभियान जीवन कौशल बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। इस अभियान के द्वारा लड़कियों और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान, डिजिटल अंतराल को खत्म करने के लिए कम्प्यूटर शिक्षा भी प्रदान करता है।

सर्व शिक्षा अभियान (SSA) में शिक्षा के सार्वभौमीकरण एक मुख्य कार्यक्रम है। सर्वशिक्षा अभियान को ''सभी के लिए शिक्षा'' के नाम से भी जाना जाता है। इस अभियान के अन्तर्गत ''सब पढ़े सब बढ़े'' का नारा भी दिया गया है।

सर्व शिक्षा कार्यक्रम को वर्ष 2002 में जब शुरू किया गया तब पुरी दुनिया में स्कूल न जाने वाले बच्चों का 25ः भारत में था। भारत ने वर्ष 2002 में अपने प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा परियोजना (सर्व शिक्षा अभियान) की शुरूआत की जिसके लिए इन्टरनेश्नल डेवलपमेंट एसोशिएशन द्वारा वित्त लागू करवाया गया। इस कार्यक्रम पर कुल खर्च केन्द्र सरकार (85:) और राज्य सरकारों (15:) द्वारा साझा किया गया, जिसके तहत देश में 50 मिलियन बच्चों को शिक्षा देने का काम उस समय की सरकार ने सही तरिके से पुरा किया था। सर्व शिक्षा अभियान पर शुरूआत में 23,000 करोड़ रूपये का खर्च आया। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सरकार ने सभी साकारात्मक कदम उठाए और उस समय की सबसे बड़ी फंडिंग की समस्या को काफी अच्छे तरह से दूर करने का प्रयास किया गया। इस विशेष योजना के लिए World Bank, UNICEF जैसे अन्तराष्ट्रीय संस्थानों से फंड इकट्ठा किया गया था।

सर्व शिक्षा अभियान आज भी सक्रिय है और हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी जी इस योजना का संचालन कर रहे हैं, वर्तमान में इस योजना का नाम ''राष्ट्रीय षिक्षा अभियान'' (Rashtriya Shiksha Abhiyan) है।

सर्व षिक्षा अभियान महत्पूर्ण तथ्यों पर आधारित है–

- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों को सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करना है।
- सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा पुरे देश में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है।
- बुनियादी शिक्षा के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए जागरूक करने की आवश्यकता है।
- सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में केन्द्र, राज्य और स्थानीय सरकार के बीच साझेदारी को सुदृढ़ किया जाता है।
- इस योजना में प्राथमिक शिक्षा पर अपनी दृष्टी विकसित करने के लिए राज्यों के लिए एक अवसर प्रदान किया जाता है।

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की ओर किये जा रहे प्रयासों में एक नई गति अप्रैल 2010 में दी गई, जब बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) लागु हुआ जिला प्राथमिक कार्यक्रम (DPEP) और सर्व शिक्षा अभियान (SSA) के प्रमुख कार्यक्रमों द्वारा प्राथमिक शिक्षा पर प्रमुख ध्यान दिया गया।

सर्वषिक्षा अभियान की मुख्य विषेषताएं :–

1) सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक स्पष्ट समयबद्ध कार्यक्रम।
2) पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा के लिए मांग का प्रत्युत्तर है।
3) बुनियादी शिक्षा द्वारा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना।
4) देष में सार्वभौमिक प्रारंम्भिक शिक्षा के लिए राजनैतिक इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति।
5) केन्द्र राज्य और स्थानीय सकरार के बीच सहभागिता।
6) राज्यों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की स्वयं की दृष्टि विकसित करने का अवसर।
7) प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधन में पंचायती राज संस्थाओं, विद्यालय प्रबंधन समितियों, ग्रामीण और शहरी–स्लम स्तरीय शैक्षिक समितियां, अभिभावक–शिक्षक संघ (पीटीए), मातृ–शिक्षक संघ (एमटीए), जन–जातीय परिशद(टीएसी) और अन्य जमीनी स्तर की संरचनाओं की प्रभावी संलग्नता के लिए एक प्रयास।

सर्वषिक्षा अभियान के लक्ष्य :–

1) वर्ष 6–14 तक के सभी बच्चों को उपयोगी और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना।
2) समुदाय की सक्रियता विद्यालय प्रबंधन में हों, साथ हीं सामाजिक, क्षेत्रीय और लैंगिक रिक्तियों की पूर्ति करना।
3) आध्यात्मिक और भौतिक संतुलन छात्रों में विकसित करना, उन्हें अपने प्राकृतिक वातावरण के बारे में सीखने और उनमें विशेषज्ञता प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना।
4) मूल्य आधारित अध्ययन प्रदान करना। छात्रों में निःस्वार्थ भाव से कार्यों के संपादन की भावना का विकास करना।
5) बाल्यावस्था से पहले की देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) के महत्त्व को समझना और 0–14 आयु वर्ग को एक सातत्व (सत्त रूप) में देखना। प्रारंभिक षिक्षा के सार्वभौमीकरण में बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संक्षेप में आर0टी0ई0 एक्ट एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकास है। यह देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विकास के मापदण्ड को गारंटी शिक्षा की ओर ले जाती है।
6) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 1.1 मिलियन बसावटों में लगभग 193 मिलियन बच्चों को शैक्षिक अवसंरचना प्रदान करना है।
7) भारतीय संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम में सर्व शिक्षा अभियान को कानूनी समर्थन प्रदान किया जब इसने 6–14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बना दिया।
8) नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य स्कूली बच्चों से बाहर के लगभग दो करोड़ बच्चों को मुख्यधारा में लाना है।
9) 2019 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, यह उल्लेख किया गया है कि 2015 में स्कूल में बच्चों की उम्र (6 से 18 वर्ष के बीच) के अनुमानित 6.2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर थे।
10) ''पढ़े भारत बढ़े भारत'' सर्व शिक्षा अभियान का एक उप कार्यक्रम है।
11) सर्व शिक्षा अभियान में 'शगुन' नाम से एक सरकारी पोर्टल भी है। जिसे सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की निगरानी के लिए वर्ष 1917 में लॉन्च किया गया है। विश्व बैंक ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर इसे विकसित किया।
12) सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्कूल मानक मूल्यांकन कार्यक्रम सहायता प्रदान करती है।
13) भारत सरकार ने इस योजना में योग शिक्षा को भी सम्मिलित किया है, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले सभी बालक–बालिका निरोगी हों और उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो सके।

सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा (यू0ई0ई0) को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा सुनिश्चित किए गए उपायः–

यह प्रारंभिक शिक्षा का ऐसा उपक्रम है, जो देश में गुणवत्तापूर्ण सार्वभौमिकरण की गारंटी देता है। इसे प्राप्त करने के निम्न उपाय बताए गए हैंः–

1) सामुदायिक सहभागिता के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना।
2) विद्यालयी शिक्षा के वैकल्पिक मार्गों को सुदृढ़ करना। जैसेः– अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली उनके लिए जो परंपरागत, पूर्णकालिक विद्यालयों में नहीं जा पाते हैं।
3) प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की उपलब्धि में सुधार हेतु न्यूनतम अधिगम स्तरों को लागू करना।
4) ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में सुधार द्वारा विद्यालय सुविधाओं में सुधार लाना।
5) बाल्यावस्था पूर्व देखभाल और शिक्षा साक्षरता और यू0ई0ई0 के कार्यक्रमों के बीच संपर्क स्थापित करना।
6) दुर्गम क्षेत्रों, (विशेषकर बालिकाओं, वंचित समूहों और विद्यालय से बाहर के बच्चों के लिए), को संबोधित करना।
7) परिवर्तित रणनीतियों और कार्यक्रमों के संदर्भ में शिक्षण–प्रशिक्षण की पुनः संरचना करना।
8) बुनियादी शिक्षा के लिए बाह्य वित्तीय सहायता उपलब्ध करना।

सर्वशिक्षा अभियान भारत में प्राथमिक शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। समग्र शिक्षा अभियान विविध हस्तक्षेपों के अवसर प्रदान करता है। जिसमें निम्न शामिल हैंः–

1. नए विद्यालय बनाना और शुरू करना।
2. अतिरिक्त शिक्षकों, नियमित शिक्षकों के लिए सेवारत प्रशिक्षण।
3. निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों की व्यवस्था।
4. यूनिफार्मस और अधिगम–प्रतिफलों में सुधार हेतु मुफ्त सहायता को सुनिश्चित करना।

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक न्यायपूर्ण कानूनी फ्रेमवर्क प्रदान करता है, जो सभी 6–14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार प्रदान करता है। यह बच्चों को न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से यह बच्चों को ऐसी शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, जो भय, तनाव और चिंता से मुक्त हो।

सर्व षिक्षा अभियान के प्रमुख कार्यक्रम :–

1) ऐसी बस्तियों में स्कूल स्थापित करना जहाँ कोई स्कूली शिक्षा या प्राथमिक विद्यालय नहीं है।
2) अतिरिक्त कक्षाओं का विस्तार करना।
3) शौचालय का निर्माण कराना।
4) पेयजय की व्यवस्था करना।
5) अनुरक्षण के बुनियादी ढ़ांचे को सुदृढ़ करना।
6) स्कूलों के बुनियादी ढ़ांचे को सुदृढ़ करना।

7) जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, वहाँ शिक्षकों की संख्या को बढ़ाने के लिए। ऐसे स्कूलों को अतिरिक्त शिक्षक प्रदान किये जाते हैं।
8) स्कूल में मौजुदा शिक्षकों के कौशल और क्षमता को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए–
- व्यापक प्रशिक्षण।
- अनुदान को बनाये रखने के द्वारा शिक्षकों– सिखने की सामग्री विकसित की जाती है।
- एक कलस्टर, ब्लॉक और जिला स्तर पर अकादमिक सहायता संरचना को मजबूत किया जाता रहा है।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ छात्रों को जीवन कौषल प्रदान करने के लिए।

9) लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना (महिलाओं की स्थिति में बदलाव लाने के लिए, व्यापक उद्धेष्य होने के नाते) और विशेष जरूरतों वाले विकलांगों या बच्चों की शिक्षा भी। इसके अलावा, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने उल्लेख किया है कि सर्व शिक्षा अभियान एस0एस0ए0 से संबंधित लोगों के बच्चों के लिए शिक्षा में समान अवसर लाना चाहता हैः–
- अनूसूचित जाति
- सेंट
- मुस्लिम अल्पसंख्यक
- भूमिहीन कृषि मजदूर, आदि

10) पारंपरिक रूप से बहिष्कृत श्रेणियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समझने के लिए।
11) सर्व शिक्षा अभियान भी बच्चों को कम्पयूटर शिक्षा की पेशकश करके डिजिटल विभाजन को पाटने का प्रयास करता है।
12) प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण (UEE) के तहत फोकस के मुख्य क्षेत्र हैंः–
- सार्वभौमिक अभिगम
- सार्वभौमिक नामांकन
- सार्वभौमिक प्रतिधारण
- सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा

13) अध्यापन अधिगम सामग्री जुटाना।
14) कमजोर वर्ग की लड़कियों पर विशेष ध्यान देना।
15) निःशुल्क शिक्षा अनेक प्रोत्साहन योजना चलाना।
16) प्राथमिक एवं प्रारंभिक विद्यालयों में 40रू1 छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से शिक्षकों की उपलब्धता।
17) प्रभावी प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना।
18) कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए बच्चों को स्कालरशिप, पोशाक तथा मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना।
19) वैकल्पिक स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना का निर्माण किया गया।
20) स्कूल सुधार अनुदान बनाये रखने के लिए बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें वर्दी प्रदान करने के लिए।
21) सर्व शिक्षा अभियान में मुख्य 08 कार्यक्रम चलाये गये थे, जिनमें आँगनबाड़ी भी सम्मिलित है। 2004 में कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्या योजना भी चलाई गई थी, जिसके तहत सभी लड़कियों की शिक्षा को अनिवार्य किया गया था और बाद में इसे सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रमों में सम्मिलित किया गया।

देश में अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा शुरू करना एक जटिल कार्य था। किन्तु इस योजना को धरातल में उतारने के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्धेष्य हर बच्चे के सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियमित स्कूल के बुनियादी ढाँचे को दृढ़ बनाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं और सुविधाओं का विस्तार किया है।

सर्व षिक्षा अभियान और साक्षर भारत की उपलब्धियां

सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के दौरान, प्राथमिक विद्यालयों में कुल नामांकन 2009–10 में 18.79 करोड़ बच्चों से बढ़कर 2015–16 में 19.67 करोड़ बच्चों तक पहुंच गया है। यूडीआईएसई 2015–16 के अनुसार, प्राथमिक के लिए सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 99ण्21ः और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 92ण्81ः है। छात्र शिक्षक अनुपात (पीटीआर) 2009–10 में 32 से बढ़कर 2015–16 में 25 हो गया है। भारत के 62ण्65ः सरकारी स्कूलों में आरटीई मानदंड के अनुसार पीटीआर है जो प्राथमिक स्तर पर 30:1 और उच्च प्राथमिक स्तर में औसतन 35रू1 है। 2005 में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 134.6 लाख थी जो 2009 में 81 लाख और 2015 में 60.64 लाख हो गई है। प्राथमिक स्तर में औसत वार्षिक स्कूल छोड़ने की दर 2009–10 में 6.76ः से घटकर 2014–15 में 4ण्13ः हो गई है। UDISE, 2015–16 के अनुसार 2014–15 में उच्च प्राथमिक स्तर पर औसत वार्षिक ड्रॉपआउट दर 4ण्03ः है। यूडीआईएसई, 2015–16 के अनुसार प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में संक्रमण दर 2009–10 में 85ण्17ः से बढ़कर 2014–15 में 90ण्14ः हो गई है। 2014–15 में लैंगिक समानता सूचकांक (जीपीआई) प्राथमिक स्तर के लिए 0.93 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 0.95 पर पहुंच गया है। प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के बच्चों का नामांकन 2010–11 में 19.06 प्रतिशत से बढ़कर 2015–16 में 19.79 प्रतिशत हो गया है। प्राथमिक स्तर पर 2015–16 में अनुसूचित जनजाति के बच्चों का नामांकन 10.35 प्रतिशत है। प्राथमिक स्तर पर मुस्लिम बच्चों का नामांकन 2010–11 में 12.50 प्रतिशत से बढ़कर 2015–16 में 13.80 प्रतिशत हो गया है। UDISE 2015–16 के अनुसार, कुल संख्या भारत में 10,76,994 सरकारी स्कूल संचालित है जबकि 2002–03 से 2015–16 की अवधि के दौरान 1,62,237 प्राथमिक विद्यालय और 78,903 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं।

साक्षरता दर में सुधार के लिए, साक्षर भारत, 26 राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश के 410 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में वयस्क शिक्षा और कौशल विकास के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना लागू की जा रही है, जिसमें जनगणना के अनुसार वयस्क महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत और उससे कम है। 2001, और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों सहित, उनकी साक्षरता दर के बावजूद, महिलाओं और अन्य वंचित समूहों पर विशेष ध्यान दिया गया।

यह जानकारी राज्य मंत्री (एचआरडी) श्री उपेन्द्र कुशवाहा ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

अतः सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया। ऐसे क्षेत्रों में स्कूल का निर्माण कराया गया, जहाँ पहले से एक भी स्कूल नहीं थे और उनमें बहुत सारी कक्षाओं का और स्कूल की अन्य सुविधाओं का निर्माण कराया गया साथ हीं साथ प्रारंभिक स्तर की शिक्षा को मुफ्त किया गया और 1,50,000 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्त किया गया और उन्हें प्रशिक्षण भी दिये गये। प्राथमिक विद्यालय में बच्चों का अधिक से अधिक नामांकन हो इसके लिए विद्यालय में मध्याह्न भोजन का भी प्रबंध किया गया।

निष्कर्ष –

सर्व शिक्षा अभियान बहुत हीं सफल अभियान रहा जिसके कारण शिक्षा स्तर में वृद्धि हुई है। इसके लिए बहुत गैर सरकारी संगठनों ने भी गाँवों में स्कूल बनाने के लिए ग्राम पंचायत को जमीन दे दी थी। इस अभियान में बहुत से बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया गया।

संदर्भ ग्रंथ सूचीः–

1. https://dsguruji.com
2. https://notesandprojets.com
3. कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन सूचना आयोग से ''भारत सरकार''
4. दैनिक हिन्दुस्तान, प्रभात खबर
5. द हिन्दु प्रकाशित लेख (11–12–2016)
6. प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय